

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बर 29/21

1. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी ताराचन्द जाति कलाल निवासी भीण्डा तहसील  
झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज  
अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी कराने, अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट।

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :-

- 1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 20/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि गाँव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 2891/2565 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि कय की है जिसका विकयपत्र सलग्न है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर को वाद विवाद नहीं हो इस आश्रय से पत्थरगढी करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, चुकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हो के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि गाँव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 2891/2565 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर करने के आदेश दिए किए जाते है तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा

आज दिनांक 20/04/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा 20/4